# न्यायालय जिला कलक्टर, बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी :टीना डाबी, आई0ए0एस0

राजस्व अपील सं. 06/2023

**अपीलांट–** ***बनाम*** **रेस्पोडेंट–**

1. सोनाराम पुत्र कानाराम
2. हीराराम पुत्र कानाराम
3. रतनाराम पुत्र कानाराम जाति विश्नोई निवासी सनावड़ा कला पटवार हल्का भीमथल तहसील धोरीमन्ना जिला बाड़मेर

तहसीलदार धोरीमन्ना

**राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 225 राज0 काश्तकारी अधिनियम, 1955 विरूद्ध आदेश क्रमांक 2589 दिनांक 02.02.2015 जो तहसीलदार धोरीमन्ना द्वारा पारित किया।**

उपस्थिति :–

1. श्री ओमप्रकाश विश्नोई, अधिवक्ता अपीलांट्स की ओर से उपस्थित।
2. रेस्पोडेन्ट संख्या 1 प्रर्फोमा पक्षकार।

## निर्णय

दिनांक : 27.05.2025

1. अपीलांट की ओर से यह अपील धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत रेस्पोडेंट तहसीलदार धोरीमन्ना द्वारा ग्राम सनावड़ा कलां में खसरा नंबर 18/1 रकबा 38–00 बीघा किस्म बा0 सो0 में से 0–15 बीघा भूमि के समर्पण स्वीकृति आदेश दिनांक 02.02.2015 के विरूद्ध पेश की गई है।
2. प्रस्तुत अपील के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि मौजा सनावड़ा कलां में खसरा नंबर 18/1 रकबा 38–00 बीघा भूमि के खातेदार सोना हीरा रतना पि0 काना निवासी सनावड़ा कलां तहसील धोरीमन्ना ने दिनांक 02.2.2015 को तहसीलदार धोरीमन्ना के समक्ष प्रार्थना पत्र पेश कर 0–15 बीघा भूमि बाबत मालिकाना अधिकारों को राज्य सरकार के पक्ष में बिना शर्त समर्पण करते हुए कब्जा छोड़ने का निवेदन किया तथा प्रकट किया कि राजस्थान

Signature Not Verified
Digitally signed by Tina Dabi
Date: 2025.08.05 15:38:33 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
बाड़मेर

काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 55 के अधीन समर्पण पत्र को स्वीकार किया जाकर समर्पित जमीन का राजस्व रेकर्ड में अमलदरामद करवाने का आदेश फरमावें। उक्त खातेदारान की पहचान हल्का पटवारी भीमथल द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की गई कि जिन्होंने अपनी उक्त खातेदारी की भूमि में से 0–15 बीघा भूमि समर्पण का निवेदन किया है। उक्त भूमि खातेदारान के नाम दर्ज है एवं किसी भी न्यायालय का स्थगन नहीं हैं तथा कोई वाद विचाराधीन नहीं है। इस पर तहसीलदार धोरीमन्ना द्वारा पहचान हल्का पटवारी की रिपोर्ट एवं पक्षकार की सहमति के आधार प्रस्तुत समर्पण इकरारनामा स्वीकार कर राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किये जाने का अपीलाधीन आदेश क्रमांक 2589 दिनांक 02.02.2015 पारित किया गया। अपीलांट ने उक्त समर्पण स्वीकृति आदेश के विरूद्ध यह अपील इस न्यायालय के समक्ष दिनांक 22.03.2023 को प्रस्तुत की गई है तथा अपील प्रस्तुत करने मे हुए विलम्ब को क्षमा करने हेतु धारा 5 मयाद अधिनियम के तहत प्रार्थना–पत्र मय शपथ–पत्र प्रस्तुत किया गया।

3. अपीलांट्स की अपील मयाद के बिन्दु पर निर्णय सुरक्षित रखते हुए दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये नोटिस तलब किया गया एवं अपीलाधीन मूल अभिलेख मंगवाया जाकर अवलोकन किया।

4. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा अपीलांट्स की ओर से उपस्थित अधिवक्ता को सुना। अपीलांट के योग्य अधिवक्ता ने प्रकट किया कि अपीलांट्स की संयुक्त खातेदारी का खेत मौजा सनावड़ा कलां में खसरा नंबर 18/1 हैक्टैयर 6–1512 हैक्टेयर किस्म बा0 सो0 आया हुआ है। अपीलांट द्वारा अपने खेत मे उतर दिशा में स्थित आम रास्ते के पास टांका निर्माण हेतु 0–03 बीघा भूमि का समर्पण तहसील में पेश किया जिस पर आदेश क्रमांक 741 दिनांक 11.03.2014 को समर्पणनामा स्वीकार कर तहसीलदार ने पटवारी हल्का भीमथल को नामान्तरकरण कर तरमीम करने का आदेश किया जिसकी पालना हेतु पटवार हल्का द्वारा आज दिन तक नामान्तरकरण पारित नहीं किया गया। जिस पर कुछ समय पूर्व अपीलांट द्वारा पटवारी हल्का भीमथल को नामान्तरकरण पारित करने हेतु निवेदन किया तो पटवारी ने अपीलांट के तीनों भाईयों को धोरीमन्ना तहसील में ले जाकर कुछ कागजों पर हस्ताक्षर करवा[illegible] कुछ दिन बाद नामान्तरकरण करके सूचित करने को [illegible] अपीलांट ने पटवारी से इस बाबत पुछा परन्तु कोई संतोषजनक [illegible] नहीं दिया तब तहसील हाजा के समक्ष किसी ई–मित्र से नकले प्राप्त [illegible]ने पर अपने खेत मे दो रास्ता होने व रकबा कम होने की जानकारी होने पर तहसील हाजा से नकले प्राप्त

Signature Not Verified
Digitally signed by Tina Dabi
Date: 2025.08.05 15:38:33 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)
जिला कलक्टर
बाड़मेर

की तो उक्त आलोच्य आदेश की जानकारी हुई कि पटवारी हल्का द्वारा अपीलांट को बिना बताये टांके के समर्पणशुदा भूमि का नामान्तरकरण भरने के नाम पर गलत तरीके से अपीलांट को बिना जानकारी दिये खेत में दुसरे सेढे पर रास्ता होने के बावजूद नया रास्ता हेतु समर्पण कर 0–15 बीघा भूमि का रास्ता कटाण कर उसका नामान्तरकरण पारित कर तरमीम भी कर दी। जबकि पूर्व मे किये गये टांके हेतु समर्पण का न तो नामान्तरकरण भरा और न ही तरमीम की लिहाजा अपीलाधीन आदेश प्रथमदृष्ट्या शून्य होने से उक्त आदेश खारिज फरमाने योग्य है। अतः अपीलांट की यह अपील स्वीकार कर अपीलाधीन आदेश खारिज फरमाया जावे।

5. अपीलांट्स के अधिवक्ता ने यह भी प्रकट किया अपीलाधीन आदेश को पारित करने से कुछ दिन पूर्व अपीलांट को पटवारी द्वारा संतोषजनक जवाब नहीं देने पर अपीलांट ने हल्का पटवारी से राजस्व रेकर्ड की नकले प्राप्त की तो उक्त खसरा में रकबा कम व दोनो सेढे पर रास्ता दर्ज होने से उक्त नामान्तरकरण के नम्बरो के आधार पर तहसील कार्यालय से नकल प्राप्त हुई। इस प्रकार अपीलाधीन आदेश की सर्वप्रथम जानकारी होने से अन्दर मयाद यह अपील प्रस्तुत की गई है। अपील प्रस्तुत करने में हुए सद्भाविक विलम्ब को क्षमा करने हेतु धारा 5 मयाद अधिनियम का प्रार्थना–पत्र मय शपथ–पत्र प्रस्तुत कर अपील अन्दर मयाद दर्ज करने का निवेदन किया गया है।

6. हमने अधिवक्ता अपीलांट द्वारा प्रकट तथ्यों पर मनन किया एवं अपीलाधीन अभिलेख का अवलोकन किया, जिससे यह पाया जाता है कि कि मौजा सनावड़ा कलां में खसरा नंबर 18 / 1 रकबा 38–00 बीघा भूमि के खातेदारान सोना हीरा रतना पि0 काना निवासी सनावड़ा कलां तहसील धोरीमन्ना ने दिनांक 02.2.2015 को तहसीलदार धोरीमन्ना के समक्ष प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर 0–15 बीघा भूमि बाबत मालिकाना अधिकारों को राज्य सरकार के पक्ष में बिना शर्त समर्पण करते हुए कब्जा छोड़ने का निवेदन किया तथा प्रकट किया कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 55 के अधीन समर्पण पत्र को स्वीकार किया जाकर समर्पित जमीन का राजस्व रेकर्ड में अमलदरामद करवाने का आदेश फरमावें। उक्त खातेदारान की पहचान हल्का पटवारी [illegible] द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की गई कि जिन्होंने अपनी उक्त [illegible] 15 बीघा भूमि समर्पण का निवेदन किया है। [illegible] के नाम दर्ज है एवं किसी भी न्यायालय का स्थगन नहीं हैं तथा कोई [illegible] विचाराधीन नहीं है। इस पर तहसीलदार धोरीमन्ना द्वारा पहचान हल्का पटवारी की रिपोर्ट एवं पक्षकार

Signature Not Verified
Digitally signed by Tina Dabi
Date: 2025.08.05 15:38:33 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)
सत्यमेव जयते

जिला कलक्टर
बाड़मेर

की सहमति के आधार प्रस्तुत समर्पण इकरारनामा स्वीकार कर राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किये जाने का अपीलाधीन आदेश क्रमांक 2589 दिनांक 02.02.2015 पारित किया गया। अपीलांट ने उक्त समर्पण स्वीकृति आदेश के विरूद्ध यह अपील इस न्यायालय के समक्ष दिनांक 22.03.2023 को प्रस्तुत की गई है तथा अपील प्रस्तुत करने मे हुए विलम्ब को क्षमा करने हेतु धारा 5 मयाद अधिनियम के तहत प्रार्थना–पत्र मय शपथ–पत्र प्रस्तुत किया गया। अधिवक्ता अपीलांट का कथन है कि अपीलांट की संयुक्त खातेदारी का खेत मौजा सनावड़ा कलां में खसरा नंबर 18/1 रकबा 38–00 बीघा भूमि आया हुआ है। आलौच्य आदेश से किसी भी खातेदार को लाभ नहीं है तथा उक्त समर्पण हेतु जो आवेदन पेश किया उसमें कहीं पर भी दिनांक अंकित नही है तथा न ही अपीलांट प्रस्तुतकर्ता है। जिस व्यक्ति की पहचान दिलवायी वह तहसील हाजा में उपस्थित नहीं हुआ तथा आवेदन पर अव्यवस्थित हस्ताक्षर प्रमाणित करते है कि हस्ताक्षर खाली कागज पर करवाये गय है। इसके साथ ही कार्यालय टिप्पणी में अधिकारी की मोहर नहीं तथा रिपोर्ट करने वाले का पदनाम तक अंकित नहीं है। जिस दिन उक्त फर्जी आवेदन किया उसी दिन रिपोर्ट बनायी तथा खाली कागजो का दुरूपयोग कर एक दिन में सभी प्रक्रिया पूरी कर दी गई। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त आदेश के साथ प्रस्तावित नक्शा में अपीलांट के हस्ताक्षर करवाये तब उतरी सेढे पर स्थित मार्ग को दिखाकर उसके पास टांके हेतु मार्क किया परन्तु बाद में उस नक्शे का दुरूपयोग कर पुराने रास्ते पर कांटछांट कर दक्षिण दिशा में एल आकार में प्रस्तावित नक्शा बता दिया गया जबकि तरमीम पुरे दक्षिण सेढे पर कर दी गई। इस कांटछांट के कारण आलोच्य आदेश प्रथमदृष्टया ही फर्जी होने से अपास्त योग्य है। अधिनस्थ न्यायालय से प्राप्त अभिलेख एवं पत्रावली के अवलोकन से पाया जाता है कि मौजा मौजा सनावड़ा कलां में खसरा नंबर 18/1 रकबा 38–00 बीघा किस्म बा0 सो0 में से 0–15 बीघा समर्पण भूमि हेतु पक्षकारान की पहचान हल्का पटवारी भीमथल द्वारा की गई तथा रिपोर्ट प्रस्तुत की गई कि भूमि खातेदार के नाम खातेदारी में दर्ज हैं, मौके पर खाली है, उक्त भूमि पर किसी भी न्यायालय का स्थगन नहीं एवं न ही कोई वाद विचाराधीन है, किसी भी प्रकार से विवादग्रस्त नहीं हैं। उक्त भूमि पर लगान बकाया नहीं हैं। उक्त भूमि में रहन नहीं हैं। अतः इस भूमि को समर्पण हेतु स्वीकार किया जाना उचित हैं। इस पर तहसीलदार धोरीमन्ना द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट एवं खातेदार की सहमति के आधार प्रस्तुत समर्पण इकरारनामा स्वीकार कर राजस्व रेकर्ड मे अमल दरामद किये जाने का अपीलाधीन आदेश दिनांक 02.02.2015 पारित किया गया। जिसमें अपीलांट स्वयं द्वारा सहमति प्रकट की गई है ऐसे में

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

Signature Not Verified

Digitally signed by Tina Dabi
Date: 2025.08.05 15:38:33 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
बाड़मेर

सहमति से भूमि समर्पण स्वीकृति आदेश के विरूद्ध 8 वर्ष बाद प्रस्तुत अपील मयाद बाहर है। अधीनस्थ न्यायालय के इस अपीलाधीन आदेश में किसी प्रकार की अवैधानिकता नहीं होने से अपीलांट की यह अपील सारहीन व आधारहीन होने से खारिज योग्य है।

7. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत यह अपील सारहीन एवं आधारहीन कथनों पर आधारित होने से खारिज की जाती हैं।

8. निर्णय आज दिनांक 27.05.2025 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

( टीना डाबी )
जिला कलक्टर, बाड़मेर

जिला कलक्टर
बाड़मेर

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

Signature Not Verified

Digitally signed by Tina Dabi
Date: 2025.08.05 15:38:33 IST
Reason: SelfAttested